5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RU | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(40)

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक -दो/2016 निगरानी

निग - 2700 II-16

1- हुकम्मा पुत्र बँशी जाटव
2- बार्बरिया पुत्र बँशी जाटव
3- गिन्नीवाई पुत्री स्व.बारेलाल जाटव
4- रामकली पुत्री बारेलाल जाटव
5- लालाराम पुत्र बारेलाल जाटव
सभी बड़ापुरा पुरानी शिवपुरी
तहसील व जिला शिवपुरी

---आवेदकगण

विरुद्ध

1- प्रेमनारायण पुत्र छीलरियालाल शर्मा
निवासी विवेकानंद कालोनी शिवपुरी
2- उत्तमसिंह पुत्र बादाम सिंह रावत
निवासी ग्राम सिंहनिवास
तहसील व जिला शिवपुरी
3- म.प्र.शासन व्दारा अधीक्षक भू प्रबंधन शिवपुरी
4- म0प्र0शासन व्दारा उपखंड अधिकारी शिवपुरी
5- अवनीत सिंह पुत्र जसबंत सिंह बत्रा
निवासी सिद्धेश्वर कालोनी शिवपुरी

---अनावेदकगण

R
11.8.16.

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी व्दारा प्र0क0 14/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनॉक 7-7-20016 के विरुद्ध)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि ग्राम सिंहनिवास स्थित भूमि सर्वे कमांक 1467/1 रकबा 1.840 हैक्टर, सर्वे कमांक 1497/2 रकबा 1.212 हैक्टर, सर्वे कमांक 1500/1 रकबा 0.267 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3-329 हैक्टर हुकम्मा, बाबरिया तथा बारेलाल की पैत्रिक भूमि होकर शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज रही , जिन पर वह खेती करके बालबच्चों का पालन पोषण करते आये हैं। सहायक बंदोवस्त अधिकारी शिवपुरी व्दारा पक्षकारों की मांग पर प्रकरण कमांक 2/88-89 अ-73 में पारित आदेश दिनॉक 9-1-1989 से आपसी सहमति अनुसार रिकार्डेड भूमिस्वामियों का बटवारा किया गया।

R-2700-II/2016 शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7/12/18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत । अनावेदक क्रमांक– 1 एंव 5 की ओर से प्रस्तुत आपत्ति आवेदन दि0 16–7–18 एंव 30–7–18 तथा आपत्ति आवेदन दि0 3–12–18 पर पक्षकारों को सुना जा चुका है। आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि उनके व्दारा दि0 8–9–17 को लिखित बहस दी जा चुकी है अनावेदकगण लिखित बहस की प्रति न मिलना बताने पर पेशी 20–6–18 को पुनः लेखी बहस प्रस्तुत कर अनावेदकगण को प्रति दी जा चुकी है किन्तु विलम्ब करने की नियत से अनावेदकगण प्रकरण का निराकरण नहीं होने दे रहे हैं। 2/ सुनवाई के दौरान उपजी स्थिति पर विचार किया गया। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप विचाराधीन निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई–योग्य नहीं रही है, क्योंकि अपर कलेक्टर शिवपुरी व्दारा पारित आदेश दिनांक 7–7–16 के विरूद्व द्वित्तीय अपील संभागीय आयुक्त को होगी। तद्नुसार निगरानी प्रकरण एंव सम्बद्व अभिलेख आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर की ओर अंतरित। आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर स्वयं के न्यायालय में निगरानी को अपील में बदल कर सुनवाई करें। हितबद्व पक्षकार दिनॉक 27–12–18 को आयुक्त न्यायालय में उपस्थित होवें। सदस्य आयुक्त ग्वालियर संभाग	